न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	दायर दिनांक	तारीख फैसला
92/2021	24.06.2021	21.04.2025

1. रामफूल पुत्र कल्याण सहाय जाति मीणा निवासी ग्राम श्रीरामगोपालपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर। हाल तहसील आंधी।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर। हाल तहसील आंधी।
2. ग्राम पंचायत नीमला पंचायत समिति आंधी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल तहसील आंधी।

प्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामकरण शर्मा : – वकील प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम बाबत नक्शा दुरूस्ती

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 136 रा0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम श्रीरामगोपालपुरा पटवार हल्का नीमला तहसील जमवारामगढ में स्थित कृषि भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 78 रकबा 3.1300है0 जिसके गत खसरा नम्बर 41/1मि. रहे है। जो राजस्व रिकार्ड मे तरमीम शुद्वा भूमि रही है जो प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी आराजियात है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी सं0 2 के नाम खातेदारी 229/1 रकबा 1.2600है0 वाकै ग्राम नीमला में स्थित है जो सरकारी खसरा नम्बर थे से आवंटित भूमि है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम श्रीरामगोपालपुरा में स्थित है जो श्रीरामगोपालपुरा व नीमला के काकड सीमा पर स्थित है। राजस्व कर्मचारियों ने श्रीरामगोपालपुरा के पूर्व नक्शा तरमीम को संकुचित कर दिया जिससे प्रार्थी की शामलाती भूमि हाल खसरा नम्बर 78 का नक्शा संकुचित हो गया तथा उक्त भूमि की काकड सीमा के दूसरी ओर स्थित खसरा नम्बर 229/1 जिसके गत खसरा नम्बर 1 सरकारी रहा है। जो भूमि भी नीमला व श्रीरामगोपालपुरा की काकड सीमा पर प्रार्थी की भूमि से लगती हुई है तथा मौके पर दोनों गांवो की काकड पर पुख्ता मेड स्थित नही है जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी सं0 2 गलत नक्शा तरमीम के आधार पर सीमा पैमाईश करवाई है जो त्रुटिपूर्ण नक्शा के कारण नीमला के नक्शे से पैमाईश करने पर खसरा नम्बर 229/1 ग्राम नीमला की काकड सीमा से बाहर श्रीरामगोपालपुरा की काकड में पैमाईश पाई जाती है जहॉ पर प्रार्थी का ग्राम श्रीरामगोपालपुरा में खसरा नम्बर 68 की खातेदारी भूमि है। जिसमे पुख्ता चारदीवारी बना रखी है जो दोनों ग्रामों की काकड सीमा मेड पर ही है तथा पूर्व में ग्राम पंचायत के द्वारा पशु चिकित्सालय का निर्माण किया गया है उस समय अप्रार्थी सं0 2 की भूमि पैमाईश प्रार्थी के डण्डे से लगती हुई थी किन्तु हाल नक्शें में पूर्व नक्शें से भिन्न तरमीम कर देने से सीमा विवाद हो गया इसलिये प्रार्थी के लिये उक्त प्रकरण नक्शा दुरूस्ती के लिये पेश किया जाना आवश्यक हुआ। प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 78 की नक्शा तरमीम गत खसरा नम्बर 41/1मि. के अनुरूप की जाकर हाल नक्शे की तरमीम दुरूस्त की जावें जिसका प्रार्थी अधिकारी है तथा दोनों ग्रामो की काकड सीमा लगती हुई होने से ग्राम नीमला के खसरा नम्बर 229/1 की हाल नक्शा तरमीम को भी गत खसरा नम्बर 1 से मि...

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जय...

नक्शा पूर्व नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जावें। प्रार्थी की उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 206 तरमीम शुदा खातेदारी भूमि है जिसके नये खसरा नम्बर 299 का नये सर्वे मे नक्शा कायम किया गया है जो मौके पर पूर्व कब्जे व तरमीम से कम तरमीम की गई एवं उक्त खसरा नम्बर के उत्तर दिशा में पूर्व तरमीम से भिन्न तरमीम खसरा नम्बर 295 में गलत दर्ज कर दी गई जिस गलत तरमीम को नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शित किया गया है जिसे दुरूस्त किया जाकर पूर्व तरमीम अनुसार नक्शा कायम किया जावें। अतः प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि वाकै ग्राम श्रीरामगोपालपुरा पटवार हल्का नीमला मे स्थित हाल खसरा नम्बर 78 जिसके गत खसरा नम्बर 41/1मि. अनुसार हाल नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जावें व इसी प्रकार ग्राम नीमला में स्थित अप्रार्थी सं0 2 के हाल खसरा नम्बर 229/1 की नक्शा तरमीम को गत खसरा नम्बर 1 के अनुसार दुरूस्त किया जाकर पूर्व नक्शें अनुसार हाल नक्शें में तरमीम कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आरटी/2024 /542 दिनांक 14.06.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि ग्राम श्रीरामगोपालपुरा स्थित हाल खसरा नम्बर 78 रकबा 3.13 है0 जिसके गत खसरा नम्बर 41/1मि. रकबा 3.13है0 जो कि प्रार्थीगण रामफूल पुत्र कल्याण वगै0 की संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं0 2 हाल खसरा नम्बर 229/1 रकबा 1.26है0 किस्म गै0मु0आबादी जो कि ग्राम पंचायत नीमला के नाम दर्ज रिकार्ड है व वर्तमान में राजस्व ग्राम नीमला व राजस्व ग्राम श्रीरामगोपालपुरा के काकड पर स्थित है एवं ग्राम नीमला के अन्तर्गत आती है। रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया कि पुराना एकीकरण लट्ठाशीट (पटवारी) के साबिक खसरा नम्बर 41 (जो कि 41/1, 41/2) था, जिसके मुताबिक जमाबन्दी में सम्पूर्ण रकबा 12.57है0 था। उक्त खसरा नम्बर 41 (41/1, 41/2) से नवीन वर्तमान जमाबन्दी व राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर 78/3.12है0, 79/3.13है0, 80/0.49है0, 81/2.53है0, 83/1.27है0, 84/0.20है0 बने जिसका रकबा 12.57है0 है। उक्त हाल खसरा नम्बरान एवं इनके साबिक खसरा नम्बरान की नवीन राजस्व नक्शें से एवं पुराना एकीकरण लट्ठाशीट मे रकबा बरारी की गई जिसके मुताबिक नवीन नक्शें मे उक्त खसरा नम्बरान 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 की उत्तरी सीमा लगभग 1.14है0 ग्राम नीमला की ओर 1.40है0 कम प्रतीत हुई। जबकि पूर्वी सीमा ग्राम नीमला की ओर 1.40है0 कम प्रतीत हुई। उक्त दोनों नक्शों की तुलना करने पर नवीन नक्शें में उक्त खसरा नम्बर 41 (साबिक) 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 (हाल) का रकबा 0.26है0 कम आता है। अतः रकबा बरारी एवं अन्तर को कमी व पेशी के रूप मे संलग्न नजरी नक्शें में लाल एवं नीले रंग से दर्शाया गया है।

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम श्रीरामगोपालपुरा, पटवार हल्का नीमला, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 78 के वर्तमान राजस्व नक्शें को गत खसरा नम्बर 41/1मि. के नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावे तथा इसी प्रकार ग्राम नीमला, पटवार हल्का नीमला, तहसील आंधी जिला जयपुर मे स्थित हाल खसरा नम्बर 229/1 की नक्शा तरमीम को गत खसरा नम्बर 1 के अनुसार दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 21.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़